HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2874/2026

Ashok Kumar S/o Pukhraj, Aged About 21 Years, R/o Halivav Police Station Chitalwana Dist Jalore Raj. (At Present Lodged in District Jail Jalore)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Teja Ram, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

19/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 75(2), 79, 78(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(E), 67, 67(A) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 15.02.2026 से अभिरक्षा में है, उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीड़िता का वयस्क होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने के अपराध का आरोप नहीं है, वरन उसकी फोटो–वीड़ियो वायरल किये जाने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, वह दिनांक 15.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक कुमार पुत्र पुखराज** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Manish Saini/29